आबकारी विभाग, राजस्थान

क्रमांक दिनांक

निविदा प्रपत्र

प्रेषिति –

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

विषय :– वर्ष 2017–2018 के दौरान भांग के थोक एंव खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) प्राप्त करने हेतु निविदा ।

1. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत भांग के थोक एंव खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) प्राप्त करने हेतु निवेदन है कि मैने/हमनें आप द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्र की शर्तो, जो इस निविदा के अभिन्न अंग है, को पढ ली है, समझ ली है एंव इनकी पालना करने के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से सहमत हूँ/है।

2. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये समूहो में से नीचे वर्णित भांग समूह क्षैत्र में दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक भांग पत्ति/भांग घोटा (माजुम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) के खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु स्वेच्छा से यह निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते है।

3. भांग समूह का नाम –––––––––––––––––––––––––––––––– (जिसके लिये निविदा दी जा रही है)

4. मैं/हम दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक उपर्युक्त समूह में भांग पत्ति/ भांग घोटा (माजुम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) के खुदरा विक्रय करने के लिये निम्नानुसार वार्षिक अनुज्ञा फीस पर अनुज्ञापत्र लेने हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते है :–

(राशि रूपये में)

प्रस्तावित राशि (अंको में) रू. ....

प्रस्तावित कुल राशि (शब्दो में) ....

5.1 मै/हम उक्त भांग समूह क्षैत्र में भांग के थोक विक्रय अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ/रहे है अथवा नही (यदि भांग थोक हेतु आवेदन किया जाता है तो निर्धारित खाने में हॉ लिखकर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर करे।

(निविदादाताओं के हस्ताक्षर)

5.2 मेरे/हमारे द्वारा भांग थोक विक्रय अनुज्ञापत्र लेने हेतु आवेदन किये जाने पर मैं/हम थोक अनुज्ञापत्र के लिये निर्धारित अनुज्ञा फीस रूपये 10,000/– पृथक से भुगतान करने हेतु सहमत हूँ/है।

6. मैं/हम निविदा सूचना तथा निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित समूह के लिये अमानत राशि (Earnest Money) रूपये .... राजकोष चालान/बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर रहे है। राजकोष चालान/बैंक ड्राफ्ट विवरण निम्नानुसार है :–

चालान/ ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	बैंक का नाम एंव शाखा	राशि

(नोटः– अधिक संख्या में होने पर सूची संलग्न करे)

7. मैं/हम निविदा में प्रस्तावित अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की शर्तानुसार तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों, राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एंव साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 एंव इनमें समय समय पर हुये एंव होने वाले संशोधनों एंव अधिसूचनाओं/आदेशों के अनुसार देय ड्यूटी, फीस एंव अन्य कर प्रभार, अगर कोई हो, उसका अलग से भुगतान निर्धारित समय पर करने के लिये सहमत हूँ/है।

8. मैं/हम इस निविदा से पाबन्द रहूंगा/रहेगे। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत इस निविदा को मुझे/हमे वापस लेने अथवा संशोधित करने का अधिकार नही होगा। मेरे/हमारे द्वारा इसकी अवहेलना किये जाने की स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि आबकारी आयुक्त द्वारा जब्त की जा सकेगी। इसके अलावा समूह के पडत रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे मेरी/हमारी चल–अचल संपतियों से, विभाग के पास मेरी/हमारी जमा अन्य राशियों से तथा हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। मेरी/हमारी संपतियों तथा मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो मैं/हम उसे पाने के हकदार नही होगे।

9. मेरी/हमारी निविदा स्वीकार हो जाने पर निविदा स्वीकृति की सूची आबकारी आयुक्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने पर मुझे/हमें स्वीकृति की सूचना चस्पा दिनांक को सूचित हुआ, समझा जायेगा।

10. मेरी/हमारी निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तो के अनुसार निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोडकर) पांच दिवस में या ठेका अवधि प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 17 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) नकद जमा करा दूँगा/देगे। अनुज्ञा राशि की 16.33 प्रतिशत के बराबर शेष धरोहर राशि स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से 10 दिवस अथवा ठेका प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर अन्दर नकद जमा करा दूंगा/देगे।

11. मेरी/हमारी निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तो के अनुसार निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोडकर) 10 दिवस में या ठेका अवधि प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी निर्धारित प्रारूप में जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर दूंगा/देगे।

12. मुझे/हमें यह विदित है कि मेरे/हमारे द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित धरोहर राशि जमा नही कराने, वांछित राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत नही करने पर आबकारी आयुक्त को मेरे/हमारे पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति को हमारी जोखिम एंव लागत पर निरस्त करने, मेरे/हमारे द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुए) को जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु अलग से कोई नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नही होगा तथा इस हेतु मैं/हम किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नही होगे। इसके अलावा समूह के पडत रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे विभाग के पास मेरी/हमारी जमा किसी भी राशि से, मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू–राजस्व की बकाया की भांति मेरी/हमारी चल–अचल संपतियों से मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। मेरी/हमारी संपतियों तथा मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का होगा । यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो मैं/हम उसे पाने के हकदार नही होगे।

13. मेरी/हमारी निविदा स्वीकृत होने पर मैं/हम स्वीकृत अनुज्ञा फीस एंव अन्य देय राशियों का राज्य सरकार को भुगतान करने तथा निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा अनुज्ञा पत्र की शर्तो के अनुसार उसे जमा कराने के लिये पाबंद रहूँगा/रहेगे। अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तो का भुगतान संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस तक करने हेतु पाबंद रहूँगा/रहेगे। मेरे/हमारे द्वारा प्रत्येंक माह की मासिक किश्त की राशि को अंतिम कार्य दिवस तक जमा नही कराने पर इसे निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा। साथ ही राशि विलंब से जमा कराये जाने पर विलंब से जमा करायी गयी राशि पर संबंधित माह की 1 तारीख से राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज का भुगतान करूगां/करेगे/ अनुज्ञा फीस की पूर्ति में रही कमी एंव अन्य देय राशियां मय ब्याज यदि कोई हो, उसे मेरे /हमारे द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि, विभाग के पास जमा मेरी/हमारी किसी भी राशि से, मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत अथवा भू–राजस्व की बकाया की भांति मेरी/हमारी समस्त चल–अचल संपतियो, मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। मेरी/हमारी संपतियों तथा मेरे/हमारे वारिसो/उत्तराधिकारियों की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का होगा।

14. मेरे/हमारे द्वारा अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तो को निर्धारित समय पर जमा नही कराने, अन्य देय राशियों का भुगतान नही करने, निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा अनुज्ञापत्रो की शर्तो की पालना नही करने अथवा अन्य कोई उचित एंव पर्याप्त कारण होने पर आबकारी विभाग को मेरे/हमारे पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र को मेरी/हमारी जोखिम एंव लागत पर निरस्त करने तथा मेरे/हमारे द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुए) को जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु मैं/हम किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नही होगे। साथ ही समूह के पडत रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे विभाग के पास मेरी/हमारी जमा किसी भी राशि से, मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू–राजस्व की बकाया की भांति मेरी/हमारी

चल–अचल संपतियों से, मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। मेरी/हमारी संपतियों तथा मेरे/हमारे वारिसों/उत्तराधिकारियों की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का होगा।

यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो मैं/हम उसे पाने के हकदार नही होगे।

15. मै/हम वयस्क हूॅ/है एंव हर दृष्टि से अनुबंध करने की योग्यता रखता हूॅ/रखते है।

16. मैं/हम विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्र को धारण करने की योग्यता रखता हूॅ/रखते है।

17. मैं/हम समस्त निविदादाता इस निविदा के संबंध में संयुक्त एंव पृथक पृथक रूप से आबकारी विभाग के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगे।

18. मेरे/हमारे नाम, पता आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	निविदादाताओ के नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पूरा पता, मकान नं., मौहल्ला, गांव तहसील जिला एंव राज्य	मोबाईल नम्बर	निविदादाताओं के हस्ताक्षर

19. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत इस निविदा के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवादो का न्याय क्षैत्र उदयपुर रहेगा।

20. मेरे/हमारे द्वारा निविदा में जो भी विवरण प्रस्तुत किया है वह पूर्ण रूप से सही है तथा इसके लिये मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूॅ/है।

(निविदादाताओं के हस्ताक्षर)

आबकारी विभाग, राजस्थान

निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्ते

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम 1956 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान भांग समूहों में भांग के थोक एंव खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञा पत्र (Licence) प्राप्त करने हेतु निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्ते :–

1. अनुज्ञा फीस के आधार पर भांग विक्रय के अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु निविदाओं का आमंत्रण :–

1.1 आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2017–18 हेतु **परिशिष्ट "अ"** में उल्लेखित भांग समूहों में सम्मिलित भांग पत्ती/भांग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दूकानों पर उनके विक्रय के लिए एंव समूह क्षेत्र में भांग थोक विक्रय हेतु राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञा फीस के आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है।

2. भांग समूहों का विवरण :–

2.1 भांग समूहों का विवरण **परिशिष्ट "अ"** पर उपलब्ध है जिसमें भांग समूह में सम्मिलित भांग पत्ती/भांग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दूकानों की संख्या, आरक्षित राशि एंव जमा कराई जाने वाली अमानत राशि (अर्नेस्टमनी) दर्शायी गई है।

2.2 प्रत्येंक समूह अपने आप में एक स्वतन्त्र इकाई है तथा एक समूह का अन्य समूहों से किसी प्रकार का कोई सह–सम्बन्ध नही है।

3. भांग थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना :–

3.1 भांग समूह क्षेत्र में भांग के थोक विक्रय हेतु भी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा सकेगे परन्तु इस हेतु वे व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है जिन्होने इस भांग समूह क्षेत्र में भांग के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की है अथवा जिन्हें उस समूह क्षेत्र के खुदरा विक्रय का अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया है।

3.2 भांग थोक अनुज्ञापत्र हेतु वार्षिक अनुज्ञा फीस रूपये 10,000/– पृथक से भुगतान करना होगा।

3.3 अनुज्ञाधारी को भांग थोक विक्रय अनुज्ञापत्र केवल उसी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया जायेगा जिसमें उस अनुज्ञाधारी को भांग खुदरा विक्रय हेतु अनुमति/अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।

3.4 यदि किसी कारणवश भांग खुदरा समूह की स्वीकृति को निरस्त किया जाता है तो भांग थोक अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

4. अनुज्ञापत्रों का प्रारूप एंव शर्ते :—

भांग के थोक एंव खुदरा विक्रय हेतु जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों के प्रारूप एंव उनसे संबंधित शर्ते साथ में संलग्न है।

5. अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त देय ड्यूटी, फीस तथा अन्य कर प्रभार आदि का भुगतान :—

निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर उसे अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्रों की शर्तानुसार तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों एंव इनमें समय समय पर हुये एंव होने वाले संशोधनों एंव अधिसूचनाओं/आदेशो के अनुसार देय ड्यूटी, फीस एंव अन्य प्रभार अगर कोई हो, का अलग से भुगतान निर्धारित समय में करना होगा।

6. निविदा प्रस्तुत करने के लिये पात्रता :—

6.1 एकल व्यक्ति के द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा सकती है।

6.2 "व्यक्तियों के समूहों" के नाम से भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। "व्यक्तियों के समूह " के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में "व्यक्तियों के समूह" में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा। व्यक्तियों के समूह के नाम से निविदा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्ति अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेगे एंव निविदा/अनुज्ञा पत्र की शर्तो से बाध्य होगे तथा समूह में सम्मिलित सभी व्यक्ति अनुज्ञा फीस की पूर्ति के लिये संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आंतरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा । ऐसे समूह में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगे।

6.3 साझीदारी फर्म के नाम भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। साझेदार फर्म के नाम से निविदा दिये जाने की स्थिति में समस्त साझीदारों के नाम पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा तथा पार्टनरशिप डीड संलग्न करना होगा। सभी साझदार अनुज्ञा फीस की पूर्ति के लिए संयुक्त एंव पृथक पृथक रूप से उत्तरदायी होगे एंव अनुज्ञा पत्र की अवधि तक बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुज्ञा पत्र से अपना नाम वापस नही ले सकेगे । सभी साझीदारों को

निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे।

6.4 कम्पनी द्वारा भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। कम्पनी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर सभी निदेशको का संयुक्त एंव पृथक पृथक रूप से असीमित उत्तरदायित्व होगा । कम्पनी के लिये निम्न अतिरिक्त सूचनाऐं देना भी अनिवार्य होगाः—

(1) कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन/आर्टिकल ऑफ सोशियेशन की प्रमाणित प्रति ।
(2) निदेशको के नाम व पूर्ण पते ।
(3) अंतिम लेखो की अंकेक्षित प्रति ।

6.5 अवयस्क तथा अनुबंध करने के लिये किसी भी रूप से अयोग्य व्यक्तियों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा।

6.6 आबकारी अनुज्ञापत्र धारण करने के लिये अयोग्य व्यक्तियों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा।

6.7 निविदादाता के विरूद्व आबकारी बकाया होने की स्थिति में उनके द्वारा बकाया राशियां जमा कराने पर ही प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जायेगा। वर्ष 2016—17 के अनुज्ञाधारियों के विरूद्व माह दिसम्बर 2016 तक की किसी प्रकार की आबकारी बकाया होने की स्थिति में उनके द्वारा देय राशियां जमा कराने पर ही प्रस्तुत निविदाओं पर विचार किया जा सकेगा।

7. निविदा में प्रस्तावित समूह का नाम तथा अनुज्ञा फीस :—

7.1 निविदा में प्रस्तावित समूह का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे।

7.2 प्रत्येंक समूह के लिये अलग अलग निविदा प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदादाता द्वारा एक से अधिक समूह के लिये भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु प्रत्येंक समूह के लिये पृथक पृथक निविदा प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.3 संबंधित भांग समूह के लिये प्रस्तावित अनुज्ञा फीस उस समूह के भांग पत्ति/भांग घोटा (माजुम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दूकानो के लिये निर्धारित आरक्षित राशि से कम नही होनी चाहिये ।

7.4 प्रस्तावित समूह के लिये निविदा प्रपत्र में वही राशि अंकित की जावे जो निविदादाता दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिये अनुज्ञा फीस के रूप में देना चाहता है।

8. निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना :–

8.1 निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी। फैक्स अथवा अन्य किसी प्रकार से निविदा प्रस्तुत नही की जा सकेगी।

8.2 निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जावे एंव निविदा राशि स्पष्ट रूप से अंको एंव शब्दो में लिखी जावे। अंको एंव शब्दो में लिखी जाने वाली राशि एक समान होनी चाहिये।

8.3 निविदादाता(ओं) को निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम, आयु, पूरा पता संबंधी विवरण का उल्लेख करना होगा।

8.4 निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को निविदा के प्रत्येंक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने होगे।

8.5 निविदा पर किसी प्रकार की कांट छांट नही की जावे और न ही अक्षरो के उपर लिखा जावे। अगर किसी गलती को ठीक करना है तो अलग से लिखकर उस जगह प्रमाणीकरण हेतु हस्ताक्षर किये जावे।

9. निविदा के साथ अमानत राशि (Earnest Money)

निविदादाता को प्रस्तावित समूह के लिये **परिशिष्ट "अ"** में वर्णित संबंधित समूह के लिये अंकित अमानत राशि (Earnest Money) जमा कराना आवश्यक होगा यह राशि राजस्थान के किसी भी कोषालय में बिना ब्याज वाली मद **"8443–सिविल जमा (Civil Deposit), 103– प्रतिभूति जमा"** में जमा करायी जाकर ट्रेजरी चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अमानत राशि आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में उदयपुर मे देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी संलग्न की जा सकती है। चैक, एफ.डी.आर., एन.एस.सी. अथवा अन्य किसी प्रलेख इत्यादि द्वारा अमानत राशि का भुगतान स्वीकार नही किया जायेगा। निविदा के साथ वांछित अमानत राशि जमा नही कराने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

10 निविदा प्रस्तुत करने का स्थान व समय :–

निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में निर्धारित दिनांक एंव समय तक निर्दिष्ट कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये। लिफाफे पर समूह का नाम एंव प्रस्तावित राशि का अंकन नही किया जावें परन्तु बंद लिफाफे पर "भांग समूह के लिये निविदा" लिखना होगा । निविदा व्यक्तिगत रूप से तथा रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदा निर्दिष्ट कार्यालय में इस हेतु रखे गये बॉक्स में डालनी होगी। डाक द्वारा प्रेषित निविदा निर्धारित स्थान, दिनांक व समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में इसके

लिये निविदादाता स्वंय जिम्मेदार होगा। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा।

11. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नही किया जाना तथा वापस नही लिया जाना –

प्रत्येंक निविदादाता उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा से पाबन्द रहेगा। प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार निविदादाता को नही होगा । निविदादाता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि जब्त सरकार की जा सकेगी। इसके अलावा समूह के पडत रहने अथवा दोबारा ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे निविदादाता की चल–अचल संपतियों से, विभाग के पास उनकी जमा अन्य राशियों से तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। निविदादाताओ की संपतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो निविदादाता उसे पाने का हकदार नही होगा।

12. निविदा खोलने का स्थान व समय :–

निर्धारित दिनांक एंव समय तक प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष इस विभाग द्वारा जारी निविदा सूचना में अंकित समय व स्थान पर खोली जायेगी।

13. निविदादाता द्वारा प्रस्तावित कोई शर्त अथवा अनुरोध मान्य नही होगा :–

निविदादाता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रकार की कोई शर्त मान्य नही होगी । इसके अलावा निविदा के संबंध में इन विस्तृत निर्देशो एंव शर्तो तथा अनुज्ञापत्र की शर्तो के विपरीत किसी प्रकार का कोई अनुरोध भी मान्य नही होगा । इसके लिए निविदादाता को पृथक से सूचित नही किया जायेगा ।

14. निविदा स्वीकृत करने का अधिकार :–

14.1 आबकारी आयुक्त को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता कोई आपत्ति करने एंव क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नही होगा।

14.2 विभाग किसी भी समूह का बंदोबस्त किसी भी आधार एंव प्रक्रिया अपनाकर कर सकेगा।

15. <u>निविदा स्वीकृति की सूचना :–</u>

15.1 जिस निविदादाता की निविदा अनुमोदित की जावेगी, उसके लिये स्वीकृति आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

15.2 निविदा स्वीकृत की सूची आबकारी आयुक्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एंव नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने पर निविदादाता को निविदा की स्वीकृति चस्पा दिनांक को सूचित किया हुआ माना जायेगा।

16. <u>धरोहर राशि जमा कराना (Security Deposit)</u>

16.1 धरोहर राशि स्वीकृत अनुज्ञा फीस की 33.33 प्रतिशत होगी। निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोडकर) 5 दिवस या ठेका अवधि प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 17 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुए) नकद जमा करानी होगी। स्वीकृत अनुज्ञा राशि की 16.33 प्रतिशत के बराबर शेष धरोहर राशि स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से 10 दिवस अथवा ठेका प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी।

16.2 धरोहर राशि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में नकद, राजकोष चालान, बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चैक द्वारा जमा करायी जानी है।

16.3 धरोहर राशि विलंब से प्रस्तुत करने पर विलंब अवधि का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, परन्तु ब्याज के भुगतान की शर्त के आधार पर निविदादाता को धरोहर राशि जमा कराने की निर्धारित समय सीमा में कोई छूट प्राप्त करने का अधिकार नही होगा। 17 प्रतिशत धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुए) के लिये विलंब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोडकर 5 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जावेगी। शेष 16.33 प्रतिशत धरोहर राशि के लिये विलंब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोडकर 10 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जायेगी।

16.4 अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2017–18 हेतु देय अनुज्ञा शुल्क के 66.67 प्रतिशत के बराबर अनुज्ञा शुल्क की राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जमा करवा देने तथा धरोहर राशि जब्त नही होने या अन्यथा समायोजित नही किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि को वर्ष 2017–18 की शेष अवधि की अंतिम मासिक किश्तो पेटे माह मार्च 2018 में समायोजित किया जा सकेगा। जमा धरोहर राशि को अंतिम किश्तो पेटे समायोजित करने पर अंतिम किश्तो की राशि पर ब्याज देय नही होगा।

17. बैंक गारंटी प्रस्तुत करना :–

17.1 निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोडकर) 10 दिवस में या ठेका अवधि प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पूर्व में हो, निविदादाता को स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

17.2 बैंक गारंटी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी की हुई होनी चाहिये जो राजस्थान में स्थित बैंक की किसी शाखा पर भुगतान योग्य हो। बैंक गारंटी, गारंटी अवधि के दौरान अखण्डनीय (Irrevocable) रहेगी तथा किसी भी आधार पर बैंक अथवा अनुज्ञाधारी उसमें कोई परिवर्तन नही कर सकेगा । आबकारी विभाग द्वारा बैंक गारंटी के भुगतान की मांग (Invoke) किये जाने पर बैंक को इसका तुरन्त नकद भुगतान करना होगा । भुगतान बाबत बैंक अथवा अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही कर सकेगा।

17.3 बैंक गारंटी विलंब से प्रस्तुत करने पर विलंब अवधि का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, परन्तु ब्याज के भुगतान की शर्त के आधार पर निविदादाता को बैंक गारंटी प्रस्तुत कराने की निर्धारित समय सीमा में कोई छूट प्राप्त करने का अधिकार नही होगा। विलंब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक को छोडकर 10 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जायेगी।

17.4 जो अनुज्ञाधारी बैंक गारंटी के एवज में नकद राशि जमा करवायेगे, उनकी जमा नकद राशि अन्यथा समायोजित नही किये जाने की स्थिति में माह नवम्बर 2017 की मासिक किश्त पेटे माह मार्च 2018 में समायोजित की जा सकेगी। इस प्रकार जमा राशि का समायोजन किये जाने पर ब्याज की राशि देय नही होगी।

18. अनुज्ञापत्र जारी किया जाना :–

किसी भी निविदादाता की निविदा/प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकृत होने पर उसे आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 36 के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अनुज्ञाधारी माना जायेगा परन्तु वांछित धरोहर राशि जमा कराने, वांछित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने, अन्य आवश्यक फीस आदि जमा कराने व आवश्यक दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने के पश्चात ही विधिवत अनुज्ञा पत्र जारी किये जायेगे।

19. अनुज्ञा फीस एंव अन्य देय राशियो का भुगतान –

19.1 अनुज्ञा फीस की पूर्ति समान मासिक किश्तो में करनी होगी । अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तो का भुगतान संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस तक करना होगा। प्रत्येंक माह की मासिक किश्त की राशि को उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नही कराने पर इसे निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा अनुज्ञापत्रो की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा। साथ ही विलंब से जमा करायी गयी अनुज्ञा फीस पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। मासिक किश्तो को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नही कराने पर मासिक किश्त की शेष राशि पर उसी माह की 1 तारीख से ब्याज की गणना की जायेगी। अनुज्ञा फीस की पूर्ति में रही कमी एंव अन्य देय राशियां मय ब्याज, यदि कोई हो, निविदादाता/अनुज्ञाधारी द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि, विभाग के पास जमा उनकी किसी भी राशि से, अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू राजस्व की बकाया की भांति उनकी समस्त चल–अचल संपतियों, वारिसों/ उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। निविदादाता/अनुज्ञाधारी की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

19.2 भांग थोक विक्रय की अनुमति दिये जाने पर स्वीकृति दिनांक से 10 दिवस में वार्षिक अनुज्ञा फीस की राशि रूपये 10,000/– एक मुश्त भुगतान करनी होगी।

20. धरोहर राशि जमा नही कराने/बैंक गारंटी प्रस्तुत नही करने पर जारी स्वीकृति को निरस्त करना :–

अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित धरोहर राशि जमा नही कराने एंव /अथवा वांछित राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत नही करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उनके पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति को निविदादाता /अनुज्ञाधारी की जोखिम एंव लागत पर निरस्त कर जमा करायी गयी धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुए) को जब्त किया जा सकेगा तथा इस हेतु अलग से कोई नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नही होगा तथा इस हेतु निविदादाता/अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नही होगे। इसके अलावा समूह के पडत रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसकी वसूली निविदादाता/अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू राजस्व की बकाया की भांति उनकी चल–अचल संपतियों से, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। निविदादाता/ अनुज्ञाधारी की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा । यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो निविदादाता/अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नही होगे।

21. अनुज्ञा फीस एंव अन्य देय राशियां जमा नही कराने, निविदा प्रपत्र तथा अनुज्ञा पत्रो की शर्तो आदि का उल्लंघन करने पर जारी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र निरस्त करना :–

अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तो एंव अन्य देय राशियों को निर्धारित समय पर जमा नही कराने, निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तो की पालना नही करने तथा अन्य कोई उचित एंव पर्याप्त कारण होने पर आबकारी विभाग को निविदादाता/अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र को उनकी जोखिम एंव लागत पर निरस्त करने तथा उनके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुए) को जब्त करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु वे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नही होगे। साथ ही समूह को पडत रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे संबंधित निविदादाता/अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू राजस्व की बकाया की भांति उनकी समस्त चल–अचल संपतियों से, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। निविदादाता/अनुज्ञाधारी की संपतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा । यदि समूह को पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो निविदादाता/अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नही होगे।

22. भांग पत्ति, भांग घोटा की अतिरिक्त दूकाने :–

निविदा स्वीकृत किये जाने के उपरांत अनुज्ञाधारी के निवेदन पर समूह क्षैत्र में भांग पत्ति, भांग घोटा (माजुम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की सम्मिलित दूकानो की 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त दूकान/दूकाने आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी। इस हेतु प्रति दूकान निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी–

	अतिरिक्त दूकान का क्षैत्र	जमा करायी जाने वाली राशि (रूपयो में)
1.	एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर	10,000
2.	अन्य स्थान	5,000

23. शुष्क दिवसों की पालना :–

वर्ष 2017–18 हेतु नियत 5 शुष्क दिवसों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंति, गांधी जयंति एंव 30 जनवरी) पर दूकाने बंद रखनी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त/अनुज्ञापत्र स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश भांग की दूकाने बंद रखने या उनके विक्रय के संबंध में परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न अनुज्ञा फीस में कोई कमी की जायेगी।

24. **भांग पर वेट (vat)**

वर्तमान में भांग को वेल्यू एडेड टेक्स (VAT) से मुक्त रखा गया है ।

25. **विवाद आदि की स्थिति में निर्णय**

समूह के क्षैत्र, निविदा एंव निविदा की शर्तो या अनुज्ञापत्रों की शर्तो के संबंध में किसी प्रकार के विवाद अथवा अस्पष्टता उत्पन्न होने तथा किसी तकनीकी त्रुटि, विषमता, लोप आदि की स्थिति के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा एंव अनुज्ञाधारी उससे बाध्य होगा।

26. **न्यायालय का क्षैत्राधिकार**

निविदा के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवादो का न्याय क्षैत्र उदयपुर होगा ।

****

(To be issued by the scheduled bank having it's branch office in the state of Rajasthan on non-judicial stamp of proper value as per the stamp and registration Act in force)

PROFORMA OF BANK GUARANTEE

Bank guarantee No.----------- Dated----------------
-

(1) Whereas the Governor of the state of Rajasthan (hereinafter called "the Government") having agreed to grant licence (s) to Sh./M/s---------------------------------(hereinafter called "the said licensee (s)") after complying with certain prerequisite conditions by the licensee as per sanction letter no.-------------------dated-------- issued in favour of the licensee and as per the terms and conditions of the licence to be issued (hereinafter called "the said licence(s)") for retail sale of Bhang and wholesale in the area of Bhang Group----- at licence fee of Rs--------------------- for the period of 01-4-2017 to 31-3-2018 And whereas under the terms and conditions of sanction the said licensee (s) is required to submit Bank guarantee equal to 10% of licence fee.

We---(hereinafter referred to as "the Bank") (indicate the name of Bank)

at the request of -------------(licensee(s)) do hereby undertake to pay to the government not exceeding Rs--------------------(Rs.------------------------------- only) against any breach of terms and conditions of said licences or non fulfillment or violation of any terms and condition of the said licence (s) or any amount due against the said licensee.

2. We------------------------------------- do hereby undertake to pay the amounts (indicate the name of Bank)

due and payable under this guarantee immediately, without any demur or protest, merely on a demand from the District Excise Officer or any higher authority of the excise department on behalf of government stating that the amount claimed is due by way of any breach of terms and condition of said licences or non fulfillment or violation of any terms and conditions of the said licences or any amount due against the said licensee or by reason of failure of the licensee (s) to comply with the condition of said licences. Any such demand made on the Bank shall be conclusive, absolute and unequivocal as.

regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, the bank's liability under this guarantee sahll be restricted to an amount not exceeding Rs----------------- (Rs---only).

3. We-------------------------------------do hereby undertake to pay to the
(indicate the name of Bank)
Government an amount so demanded not withstanding any dispute or disputes raised by the Licensee (s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, the Bank's liability under this present being absolute, unequivocal and unconditional. The payments so made by the Bank under this guarantee shall be valid discharge of our liability for payment there under and the Licensee (s) shall have no claim against the Bank for making such payments.

4. We-----------------------------------further agree that the guarantee
(indicate the name of Bank)
herein, above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said licences and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said licences have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the District Excise Officer---------------------- certifies that the terms & conditions of the said licences have been fully and properly carried out by the said licensee (s) and accordingly discharges this guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the 30th June 2018, the Bank shall be discharged from all liabilities under this guarantee thereafter. However if the last date of expiry of the bank guarantee happens to be a holiday of the Bank, the Bank guarantee shall expire on the close of the next working day.

5. We -----------------------further agree that the Government shall
(indicate the name of Bank)
have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner the Bank's obligation hereunder to vary any of te terms & conditions of the said licences or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said licensee (s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said licence and we shall not be relived from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said licensee (s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said licensee (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee herein contained would come in to force from the date of issue and will not be discharged/vitiated or affected due to the change in the Constitution of the Bank or the licensee (s) or addition of names of the other persons in the licence(s).

7. We-------------------------------undertake not to revoke this guarnatee
(indicate the name of Bank)
during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

8. The Bank guarantee shall be payable at the District head quarter branch ---------------------------- in the State of Rajasthan.

9. The Bank has power to issue this guarantee in favour of the Government and the undersigned has full power to do so under power of Attorney dated ---------------------- granted to him by the Bank.

10. In witnessth I hereby ------------------------------son of--------------------------
(Full name)
Designation-------------------------- Branch----------------------------- constituted attorney of the said Bank has set my signature and Bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the State of -----------------executed this day------------------------- of -----------------year 2017.
For and on behalf of the Bank (Indicate the Bank)

(Signature & Designation with seal)

आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर

भांग खुदरा विक्रय का अनुज्ञापत्र (लाईसेंस)

(राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 42 (ई) व राजस्थान आबकारी नियम,1956 के नियम 57 के अन्तर्गत)

अनुज्ञापत्र संख्या .... दिनांक

अनुज्ञाधरी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	जाति	पूर्ण पता

इस अनुज्ञापत्र की पालना सुनिश्चित करने के लिये उक्त अनुज्ञाधारी/अनुज्ञाधारियों ने :–

(1) स्वीकृत अनुज्ञा फीस की वांछित 33.33 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करा दी है।

(2) स्वीकृत अनुज्ञा फीस की वांछित 10 प्रतिशत राशि के बराबर की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी है।

उपर्युक्त व्यक्तियों को सरकारी गोदाम में भांग का स्टॉक उपलब्ध होने तक सरकारी गोदाम से निर्धारित दर पर भांग प्राप्त कर एंव तत्पश्चात अपने थोक अथवा राज्य में स्थित अन्य थोक विक्रय अनुज्ञाधारी से निम्न समूह क्षैत्र में भांग व भांग घोटा (गुलकन्द, बुकनी, माजुम आदि सहित) के खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांक .... से .... तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तो पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है ।

भांग समूह का नाम ....

समूह में सम्मिलित दूकानों की संख्या : ....

समूह में सम्मिलित दूकानों का विवरण ....
....
....
....
....
....
....
....
....

भांग खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) की शर्ते

1. **राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 आदि की पालना**

   अनुज्ञाधारी राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या–2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985, राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एंव सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 एवं निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तो तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. **<u>अनुज्ञा फीस एवं अन्य राशियों तथा उनका भुगतान :–</u>**

   2.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2017–2018 (दिनांक 01.4.2017 से 31.3.2018 तक) की अवधि के लिए अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित अनुज्ञा फीस रूपयें..(अंको में) रूपयें... (शब्दो में) का भुगतान करना होगा।

   2.2 अनुज्ञाधारी अपने थोक अथवा राज्य में स्थित अन्य थोक अनुज्ञाधारी से खुदरा में भांग का स्थानान्तरण/क्रय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के आधार पर ही कर सकेगा एवं उसे इस हेतु नियमानुसार परमिट फीस अदा करनी होगी।

   2.3.1 उपर्युक्त राशियों के अलावा फीस एवं अन्य कर प्रभार, अगर कोई है, का अलग से भुगतान करना होगा।

   2.3.2 उपर्युक्त अनुज्ञा फीस की पूर्ति बराबर मासिक किश्तो में करनी होगी। प्रत्येक माह की अनुज्ञा फीस में किश्त का भुगतान उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक करना होगा।

   2.3.3 विलम्ब से जमा करायी गयी अनुज्ञा फीस पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा।

3. **<u>अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :–</u>**

   3.1 जिन व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत समूह क्षेत्र में भांग की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।

   3.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञा पत्र हस्तान्तरित नही कर सकेगा। अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर भांग समूह को नियमानुसार फिर से उठाया जा सकेगा। यदि अनुज्ञाधारी का कोई वैध वयस्क उत्तराधिकारी हो, तो उसकी प्रार्थना पर अनुज्ञापत्र उसके नाम पर जारी किया जा सकेगा। किसी समूह में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तो से यथावत् बाध्य रहेगा।

3.3 ''व्यक्तियों के समूह'' के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह–अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तो से बाध्य होंगे। सभी सह–अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के लिए संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों को उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा। ऐस ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारी द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न होंगे।

4. धरोहर राशि एवं बैंक गारन्टी :–

4.1 धरोहर राशि : धरोहर राशि स्वीकृत अनुज्ञाफीस की 33.33 प्रतिशत होगी। निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोडकर) 5 दिवस या ठेका अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञाफीस के 17 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुए) नकद जमा करानी होगी। स्वीकृत अनुज्ञा राशि की 16.33 प्रतिशत के बराबर शेष धरोहर राशि स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से 10 दिवस अथवा ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर–अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी। अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2017–2018 हेतु देय अनुज्ञा शुल्क के 66.67 प्रतिशत के बराबर अनुज्ञा शुल्क की राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जमा करवा देने अथवा धरोहर राशि जब्त नही होने या अन्यथा समायोजित नही किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि को वर्ष 2017–2018 की शेष अवधि की अन्तिम मासिक किश्तो पेटे माह मार्च, 2018 में समायोजित किया जा सकेगा। जमा धरोहर राशि को अन्तिम किश्तों पेटे समायोजित करने पर अन्तिम किश्तो की राशि पर ब्याज देय नही होगा।

4.2 बैंक गारन्टी : अनुज्ञाधारी को निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोडकर) 10 दिवस में या ठेका अवधि के प्रारम्भ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारन्टी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए जो राजस्थान में स्थित बैंक की किसी शाखा पर भुगतान योग्य हो। बैंक गारन्टी, गारन्टी अवधि के दौरान अखण्डनीय (Irrevocable) रहेगी तथा किसी भी आधार पर बैंक अथवा अनुज्ञाधारी उसमें कोई परिवर्तन नही कर सकेगा। आबकारी विभाग द्वारा बैंक गारन्टी के भुगतान की मांग (Invoke) किये जाने पर बैंक को इसका तुरन्त नकद भुगतान करना होगा। भुगतान बाबत् बैंक अथवा अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही कर सकेगा।

5. दुकानों की अवस्थिति :–

5.1 अनुज्ञाधारी अनुज्ञा के लिए निर्धारित क्षेत्र में भांग की सम्मिलित दुकानों की संख्या तक किसी भी स्थान पर नियमानुसार दुकान लगा सकेगा परन्तु इसके लिये अपने क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी से दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत होगी। बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकानों का संचालन नही कर सकेगा।

5.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानो की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजो सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। तदुपरान्त आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस में जिला आबकारी अधिकारी अपने निर्णय से अनुज्ञाधारी को अवगत करायेगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गयी अवस्थिति पर दुकान लगाने की

स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा अनुज्ञा फीस अथवा अन्य देय राशियों में छूट पाने का हकदार नही होगा। साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृति कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

5.3 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत दुकानों को एक स्थान से उसी समूह क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नही करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा अनुज्ञा फीस में छूट पाने का हकदार नही होगा।

5.4 समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या तक दुकानो की अवस्थिति स्वीकृत नही कराने अथवा किसी कारणवश उन्हे संचालित नही करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियों में किसी भी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा।

5.5 अनुज्ञाधारी को अपने समूह की सीमा के 2.5 किलोमीटर शुष्क क्षेत्र (Dry zone) में कोई नई दुकान संचालन करने की अनुमति नही होगी।

5.6 अनुज्ञाधारी भांग की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नही लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरो में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची से उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी, शिक्षा संस्थनों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोडकर अन्य विद्यालयो के निकट की दुकानो के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा स्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी।

5.7 अनुज्ञाधारी फेक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नही लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

5.8 दुकानों की अवस्थिति बाबत् माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किये जाने पर उसका पालन करना होगा, जिस पर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

5.9 दुकानों की अवस्थिति बाबत् उक्त प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

5.10 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकानों के दरवाजे पर 125 X 75 से.मी. का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, भांग समूह का नाम व दुकान का विवरण लिखा हो, लगाना होगा। आमतौर से भांग की दुकान इस प्रकार होनी चाहिये कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एंव उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नही रख सकेगा। अपनी बिक्री बढाने के लिये ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दे सकेगा, जैसे कि गाना,

नाच व रेडियो/टेलिविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा।

5.11 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो समक्ष अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर भांग की अनुज्ञा फीस की पूर्ति में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षति पूर्ति का हकदार नही होगा।

5.12 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से समूह में स्वीकृत करायी गयी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

6. दुकानों का संचालन :—

6.1.1 अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक दुकाने खुली रख सकेगा। परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

6.1.2 वर्ष 2017—2018 हेतु नियत 5 शुष्क दिवसो पर एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकाने बन्द रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकानो के बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय—समय पर लगाये जायेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिये उसे न तो कोई क्षति पूर्ति की जायेगी और न अनुज्ञा फीस में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकाने कानून व व्यवस्था संबंधी कारणो से बन्द रहती है तो भी अनुज्ञा फीस में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी। शुष्क दिवसो की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

6.1.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसो के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश भांग के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षति पूर्ति की जायेगी न अनुज्ञा फीस में कोई कमी की जायेगी।

6.2 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर राजकीय भण्डागार/अपनी थोक दुकान/अन्य थोक अनुज्ञाधारी से अधिकृत रूप से क्रय की गयी भांग ही विक्रय करेगा। यह भांग वह भण्डागार/थोक से तय मार्ग से निर्धारित समयावधि में सुरक्षित अवस्था में लायेगा व परिवहन के समय पास साथ में रखना होगा। अपनी दुकान पर लाई गई भांग को किसी भी अन्य स्थान पर नही रखेगा।

6.3 लाईसेंस देने वाले अथवा उससे उच्च अधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी महिने में भांग के क्रय/विक्रय पर समुचित नियंत्रण लगा सके। अनुज्ञाधारी इस नियंत्रण के लिये कोई क्षति पूर्ति पाने या अनुज्ञा फीस में कमी कराने का हकदार नही होगा।

6.4 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर अधिकृत रूप से लाई गई भांग की ही बिक्री करेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना अन्य किसी पदार्थ की बिक्री नही कर सकेगा।

6.5 अनुज्ञाधारी भांग लाने व बेचने के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से ही नौकर रख सकेगा परन्तु ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक काम के लिये अनुज्ञाधारी स्वंय उत्तरदायी होगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से

अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के माता, पिता, पत्नि एवं वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी। अनुज्ञाधारी भांग बेचने व लाने के लिये अपनी दुकान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नौकर नही रख सकेगा जिसे काई संक्रामक रोग हो या जो आबकारी एवं फौजदारी जुर्म से आदतन अपराधी अथवा वान्टेड हो।

6.6 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में भांग की इतनी मात्रा रखनी होगी जो 15 दिन की बिक्री के लिये पर्याप्त हो। भांग का सारा स्टॉक उसी दुकान पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिये उसे अनुज्ञा पत्र दिया गया है।

6.7 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में 100 ग्राम से अधिक भांग बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के एक साथ नही बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरूद्व वह कोई आपत्ति नही कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।

6.8.1 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरस्त ना हो, भांग नही बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल या आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, भांग नही बेच सकेगा। वाहन चालको को एवं हवाई जहाज के पायलटो को भी यात्रा के दौरान भांग नही बेच सकेगा।

6.8.2 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआं नही होने देगा और ऐसे लोगो जो कुख्यात बदमाश हो, दुकानो पर आने नही देगा और रात को ऐसे बदमाशो को अपनी दुकान पर नही ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञााधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर कार्य करता हो तो उसका कर्त्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।

6.9 अनुज्ञाधारी को भांग का विक्रय निर्धारित तोल से करना होगा। तोल का बाट हर समय साफ व स्वच्छ हालात में रखने होंगे। भांग से कोई अन्य चीज नही बना सकेगा, न बेच सकेगा। भांग के विक्रय मूल्य की एवज में कोई अन्य वस्तु नही लेगा।

6.10 जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञाधारी किसी मेले में अस्थाई तौर पर दुकान नही लगा सकेगा।

7. <u>अभिलेखो का संधारण :–</u>

7.1 अनुज्ञाधारी को भांग की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन का हिसाब दुकान बन्द करने के साथ उसी दिन ही लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

7.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर,

परमिट पास एवं भांग का तमाम स्टॉक, इत्यादि जॉच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।

7.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को भांग के बचे हुए स्टॉक एवं समस्त रिकॉर्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकॉर्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होंगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

8. <u>अनुज्ञापत्र को निरस्त करना :–</u>

8.1 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञा फीस के मासिक किश्तो का भुगतान अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.3.2 के तहत निर्धारित तिथी तक करना आवश्यक होगा। प्रत्येक माह की मासिक किश्त की राशि को उसी माह की अन्तिम कार्य दिवस तक जमा नही कराने पर इसे अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

8.2 यदि अनुज्ञा पत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालु नही रखता है अथवा ठीक तौर पर नही चलाता अथवा आवश्यक मात्रा में भांग नही बेचता है या इस तरह से काम करता है जिससे सरकार को हानि होने की आशंका हो अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सस्टेन्सेज एक्ट 1985 अथवा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उसके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से भांग, अफीम, मदिरा या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से भांग बेचने का या अफीम या मदिरा या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका सम्बन्ध है जहां से ये वस्तुऍ अवैध रूप से लायी जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.5 यदि अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम,1956 अथवा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सस्टेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सस्टेन्सेज रूल्स 1985 अथवा निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तो अथवा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशो की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.6 अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी, अनुज्ञाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र निरस्त कर सकेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अनुज्ञाधारी अथवा उसके वारिस किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने का हकदार नही होंगे।

8.7 अनुज्ञापत्र निरस्त करने वाला अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञापत्र को अनुज्ञाधारी की जोखिम एवं लागत पर निरस्त कर उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) को जब्त सरकार कर सके। साथ ही समूह के पडत रहने अथवा पुनः ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से समूह के संचालन के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे सम्बन्धित अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू–राजस्व की बकाया वसूली की भॉति उनकी समस्त चल–अचल सम्पतियों से, उनके वारिसो/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि समूह के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नही होंगे।

9. <u>बकाया राशियों की वसूली :–</u>

अनुज्ञाधारी के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व की बकाया की भॉति अनुज्ञाधारियो, उनके वारिसो/उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारियों की सम्पतियों तथा उनके वारिसो/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

10. <u>अन्य बिन्दु :–</u>

10.1 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सस्टेन्सेज एक्ट क तहत घटित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हलके के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।

10.2 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सस्टेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सस्टेन्सेज रूल्स 1985 के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

10.3 इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्त्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

प्रतिसंविद

अनुज्ञापत्र संख्या.. जिला..
समूह का नाम...
मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तो तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सस्टेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सस्टेन्सेज रूल्स 1985, निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशो की पालना ाकरन पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करते है।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेर समक्ष हस्ताक्षर किये

****

आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर

भांग थोक अनुज्ञा पत्र

अनुज्ञापत्र सं. .... **दिनांक** ....
....
श्री / सर्व श्री ....
..निवासी .... जो कि भांग दुकानात समूह
....के वर्ष ....में खुदरा अनुज्ञाधारी है को उनके आवेदन पर रूपये 10,000 / – (शब्दो में रूपये दस हजार) के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क पर वर्ष .... के लिये भांग थोक अनुज्ञापत्र निम्न शर्तो पर प्रदान किया जाता है :–

1. भांग थोक अनुज्ञापत्र हेतु वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की राशि रू. 10,000 / – जमा करानी होगी।
2. भांग का थोक गोदाम संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।
3. इस अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत अनुज्ञाधारी संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के अन्तर्गत अन्य राज्यों में स्थित भांग के थोक विक्रेताओं या राज्य के अन्य भांग थोक अनुज्ञाधारियों से ही भांग का क्रय कर सकेगा।
4. थोक अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत प्राप्त भांग का विक्रय अपने खुदरा समूह की दूकानात, राज्य के अन्य थोक एंव खुदरा अनुज्ञाधारी एंव राज्य में भांगयुक्त औषधियों के निर्माण हेतु अधिकृत फार्मेसीज को ही संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट / पास के आधार पर कर सकेगा।
5. अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69–बी में उल्लेखित परमिट फीस तथा अन्य प्रभारो का नियमानुसार भुगतान करना होगा।
6. अनुज्ञाधारी अपने थोक से खुदरा में भांग का स्थानान्तरण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के आधार पर ही कर सकेगा एंव उसे इस हेतु नियमानुसार परमिट फीस अदा करनी होगी।
7. अनुज्ञाधारी को भांग के आयात / परिवहन के दौरान परमिट एंव अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ रखने होगे।
8. अनुज्ञाधारी अपने थोक एंव खुदरा का लेखा पृथक पृथक रखेगा ।
9. अनुज्ञापत्र अवधि समाप्ति पर शेष रहे भांग के स्टॉक पर नियमानुसार स्टॉक हस्तान्रण शुल्क का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से आगामी वर्ष में अन्य अनुज्ञाधारी को एक माह की अवधि में भांग स्थानान्तरित करना आवश्यक होगा अन्यथा भांग का अवशेष स्टॉक राज्यसात किया जा सकेगा ।
10. अनुज्ञाधारी को अपना गोदाम एंव लेखे आबकारी विभाग के निरीक्षक एंव अधिकारियों के निरीक्षण के वक्त मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होगे।
11. अनुज्ञाधारी को शुष्क दिवसों के दिन अपनी दूकान बंद रखनी होगी।

12. अनुज्ञाधारी राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एंव इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इस अनुज्ञा पत्र की शर्तो एंव समय समय पर जारी होने वाले विभागीय निर्देशो की पूर्ण पालना करेगा । इसमें से किसी का भी उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा । वर्ष के दौरान यदि अनुज्ञाधारी का भांग खुदरा अनुज्ञापत्र किसी कारण से निरस्त हो जाता है तो यह थोक अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

जिला आबकारी अधिकारी

प्रति संविद

अनुज्ञापत्र संख्या ....जिला ....समूह का नाम ....मै/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तो तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एंव साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एंव राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एंव साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985, निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एंव शर्तो, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एंव समय समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशो की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूॅ/करते है।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक,
वृत्त

प्रति हस्ताक्षर

जिला आबकारी अधिकारी

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2017–18 के लिये भांग खुदरा समूहों के नाम, समूह में दूकानो की संख्या, आरक्षित राशि एंव अमानत राशि का विवरण

क्र. सं.	राजस्व जिला	भांग खुदरा समूह का नाम एवं क्षेत्र	समूह में दूकानों की संख्या	आरक्षित राशि (लाख रू. में)	10 प्रतिशत अमानत राशि (लाख रू. में)
1	जयपुर	जयपुर शहर प्रथम (आबकारी वृत जयपुर शहर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व का सम्पूर्ण क्षेत्र)	40	278.54	27.86
2	जयपुर	जयपुर शहर द्वितीय (आबकारी जिला ग्रामीण एवं आबकारी वृत जयपुर शहर पूर्व का सम्पूर्ण क्षेत्र)	25	185.69	18.57
3	कोटा	कोटा प्रथम (आबकारी वृत कोटा दक्षिण व आबकारी वृत रामगंजमंडी का सम्पूर्ण क्षेत्र)	30	299.25	29.93
4	कोटा	कोटा प्रथम (आबकारी वृत कोटा उत्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र)	25	213.72	21.38
5	पाली	पाली (सम्पूर्ण पाली जिला)	30	31.00	3.10
			150	**1008.20**	**100.84**